न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/160/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र, ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 15.10.18

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.11.18

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पंत्र दिनांकः 02.07.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांकः 01.01.2014 से दिनांकः 28.06.2018 तक एकपक्षीय कार्यवाही से निष्पादित प्रकरणों की सूची मय अनुवान मुकदमा नं. व अधिवक्ता का नाम, निर्णय दिनांक, उक्त अवधि में अधिवक्ताओं द्वारा नोट प्रेस किए गए वाद पत्रों की सूची आदि विविध 06 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने बाबत प्रत्यर्थी से वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा नियत समय गुजरने के बाद भी प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 18.09.18 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः लोक सूचना/2018/1249–50 दिनांकः 06.11.18 के माध्यम. से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 18.09.18 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांकः 02.07.18 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी अस्पष्ट एवं वृहद सूचना की श्रेणी में है। अपीलार्थी द्वारा न्यायिक प्रकरणों में से निर्णित प्रकरणों में से एकपक्षीय कार्यवाही, अधिवक्ताओं द्वारा किए गए नोट प्रेस प्रकरण, इजराय प्रा0पत्र आदि विविध 06 बिन्दुओं पर सूचनाओं को उपलब्ध रिकॉर्ड से खोजकर उपलब्ध कराने की प्रत्यर्थी विभाग से चेष्टा की गई है जो उक्त अधिनियम अंतर्गत कवर नहीं होती है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो वांछित जानकारी के संबंध में क्रमबद्ध व सुस्पष्ट मुकदमा वाईज विवरण अंकित कर लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)